

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण पर सतीश रामगालम का निर्णय आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करता है लेकिन इससे समुदायों के विमाजन की आशंका भी उत्पन्न होती है इसके सांख्यिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण चीज़िए। (8 mark)

हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के SC व ST के उप-वर्गीकरण से सम्बन्धित फैसले को पलट राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित SC व ST वर्गीकरण में राज्यों को उपवर्गीकरण की अनुमति प्रदान की।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में उपवर्गीकरण से तात्पर्य आरक्षण के लाभों की सूची से 'क्रीमीलेग्ल' को बाहर कर अक्षित समूहों की खाता प्रदान करना है।

SC व ST उपवर्गीकरण से भागुकामी में विमाजन की आशंका: क्यों?

→ इसी वर्गीकरण के अन्दर वर्गीकरण की संका दी जा रही जो SC/ST के अन्दर विभेद या असमानता के जन्म के सकृदा है।

उपवर्गीकरण का सांख्यिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव

संवेदानिक प्रमाण

पक्ष में तर्क

- (१) सत्त्वारात्मक भीदमाव के उद्देश्य की छवि
- (उदाहरण) अनुच्छेद, १५(४) १५(६), वा १६(४) का। तर्क इसी लागू करना

विपक्ष में तर्क

- * अन्य समुदायी में उपकरणीकरण की जांग में हृषिक

सामाजिक प्रमाण

पक्ष

- ① हाशिए पर स्थित लोगों के प्रभाव का सुल्लिखन
- ② आरक्षण का सम्बन्ध चुने लोगों के पीड़ियों तक भास्तु के होत्तरान

विपक्ष

- ① समुदायी में भीदमाव या समुदायिक सर्विष्टता की भावना का जन्म

राजनीतिक प्रमाण

पक्ष

- ① राजनीतिक कोशी में निचले कंचित् कोई कु भावेशन की प्रोत्तरान

विपक्ष

- ① जारि की राजनीति के ऐ दूष के रूप में प्रपोज

इस प्रकार भारीभी की उपकरणीकरण सत्त्वारात्मक भीदमाव के उपडरण आरक्षण हेतु ऐ 'जन्मास्त्र/ दिशासुन्दर' की तरह कार्य करेगा जिससे लक्षित समूह तक आरक्षण की पहुँच सुनिश्चित कर भाभावेशी किश्चु द्वारा बढ़ावा दिया जा सकेगा।

(2) किस आरक्षण जीवियों की साक्ष्य आषाढ़ित और समानतापूर्ण बनाने के लिये जातिगत जनगणना अनिवार्य दोनी चाहिये? इसकी आवश्यकता और जीतिगत धूमिका का समासोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (8 marks)

हाल ही में विहार के बाद आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा जातिगत जनगणना की थी है। जिसके उन्नतर्गत सामाजिक - आर्थिक कर्त्ता एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आँखुड़ी का संग्रहण किया जायेगा।

आरक्षण जीवियों की साक्ष्य आषाढ़ित व समानतापूर्ण बनाने में जातिगत जनगणना की अनिवार्यता -

पक्ष में तर्क - ९

- (1) जातिगत आँखुड़े सम्बन्धित वर्गों के वास्तविक स्थिति से अवगत बुराने में भ्रष्टाचार
- (2) क्रीमीलेखर की पहचान व उन्हें अनावश्यक लाभ से अलग करने में सहायता
- (3) भक्ति व वंचितों की आरक्षण डा लाभ व उनका सामाजिक उत्थान
- (4) आरक्षण के तर्कपूर्ण क्रियान्वयन में सहायता
- (5) साक्ष्य व समतापूर्ण आरक्षण निहित हेतु विपक्ष में तर्क - ९

- (1) राजनीतिक दिले के लिये दुष्प्रयोग
- (2) जातिगत धैदगाव के बढ़ने की डार्शना


जातिगत जनगणना की आवश्यकता व नीतिगत धूमिका - ६

आवश्यकता

- ① आरक्षण में पिछड़े वर्ग व SC/ST आदि को प्रदान करने में सरीख आंकड़ी त्रै अनुपस्थिति
- ② आरक्षण में प्लाट अव्याचार के दूर करने हेतु

नीतिगत धूमिका

- ① आजामी जनगणना में सामाजिक-आर्थिक भवभणना भरा गोलना व नीतिपी का बहलव क्रियान्वयन
- ② इन्हें उल्लेख के प्रशासन में वंचित कर्णे का समोकेशन



इस प्रकार जातिगत जनगणना आरक्षण की नीति के सफल क्रियान्वयन में अहवालपूर्ण सांकेतिक सहायता है वल्लों इसे राजनीतिक भवनों के इस के काम में प्रयोग व इषा जाय इसी के साथ अहरभान्ता व न्याय के उद्देश्य की शर्ति में भवान्त्र उपयोग की आंति वर्ग भरेगा।

③ तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीहि जो संविधान की 9वी अनुसूची के तहत संरक्षित है ग्रनूनी युनीलिपि औ उवी अनुसूची के तहत संरक्षित है सभीज्ञा के संदर्भ का समाना कर रही है प्रायिक सभीज्ञा के संदर्भ में 9वी अनुसूची की वेदात तथा भारत की आरक्षण जीरियों पर इसके प्रभावी पर चर्चा जीजिए। (झ)

हाल में पटना हाईकोर्ट द्वारा विहार सरगढ़ द्वारा जी जातीय आरक्षण की 65% सीमा की अस्तिवैधानिक घोषित कर दिया जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के 50% सीमा की पार करती है।

इसी के तमिलनाडु में 69% की आरक्षण की सीमा पर विवाद ने जीर पछड़ लिया है जिसे संविधान की 9वी अनुसूची में संरक्षण प्राप्त है।

9वी अनुसूची

मृ यह भारतीय संविधान में पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ गया जिसका उद्देश्य कुनि सुधार व अन्य ग्रनूनी की प्रायिक सभीज्ञा से सुरक्षा प्रदान करना है।

तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीहि पर 9वी अनुसूची का सम्बन्ध व इसकी वेदात

मृ 1971 तक तमिलनाडु में 41% आरक्षण था जिसे भारतीय आपोग भी संकारित एवं OBC के

25%. आरक्षण की 31% कर निया गया भालने
में सुध 50%. OBC, 18%. SC तथा 1%. दारक्षण ST
के लिये निया गया जिससे 69% आज्ञान की सीमा
ले गयी।

प्रभावित संकार द्वारा वही नरसिंह राव भी संकार
में उनी डाकुस्ती में डालने की सिफारिश की गयी
ताकि बसकी व्यापिक समीक्षा न की जा सके।

भारत में इसकी आरक्षण नीतियों पर प्रभाव

संकारात्मक	जनकारात्मक
<p>① प्रत्येक राज्य में पिछड़े कर्मी की आनुपातिक डावावी असर - असर है क्यों आवाहक पिछड़े कर्मी के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी</p> <p>② सामाजिक - आर्थिक श्रेष्ठों में कर्मीप सुष्ठान</p>	<p>① प्रत्येक राज्य की आरक्षण की सीमा की बगाने की मांगी</p> <p>(उदाहरण) बालीसगढ़ कर्नाटक क्षेत्र आदि राज्यों में</p> <p>② प्रशासनिक दक्षता प्रबलित ③ राजनीतिक वोट बैंड हेतु प्रयोग</p> <p>④ ब्रेन इन जहा प्रतिकाशाती सुना विदेशी की तरफ राज बरेजी</p>

अतएव आरक्षण की लव्हपूर्ण सीमा डा पालन
करने व प्रशासन की दक्षता की प्रभावित निये
विना आरक्षण नीति की लागू करने की लोचनकृत
है।

(4) सामाजिक व्याय सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लाया करने पर विचार किया जा रहा है लेकिन इससे आर्थिक विकास और भवित्व प्रणाली को लेकर चिंतार उत्पन्न हो रही है। भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण लाया करने की व्यवस्था का समासीचनागत सुल्भाकान शीजिट | 8m

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) तथा (16) (4) में शौक्षिक संरक्षानी व सेवाली में आरक्षण की व्यवस्था की जपी है जिसका उद्देश्य सामाजिक व्याय सुनिश्चित कर विचित्री का समावेशी विकास करना है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण लाया करने का प्रभाव

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
<p>① दारिये पर स्थित भोगी के अक्सरी में वृद्धि</p> <p>(उक्त) कारपोरेट और औद्योगिक क्षेत्रों की वेह्य सीमित भागीदारी है।</p> <p>② भानवीय औशल व प्रशिक्षण में वृद्धि</p> <p>निजी क्षेत्र में औशल व प्रशिक्षण की प्रतिस्पर्धा की प्राप्तिकर्ता की जाती है।</p>	<p>① निजी क्षेत्र सामाजिक कल्याण की अपेक्षा निजी हिंसा लाभ की प्राप्तिकर्ता देता है। जो अनुच्छेद 19 के व्यवसाय के संधियों का हनन करेगा।</p> <p>② उत्पादन व लाभ प्रमाणित होने से निजी क्षेत्रों के उत्संतोष की भावना</p>

③ PPP भाउल से
उन्निती के हर क्षेत्र
में प्रतिनिधित्व में
वटोतरी।

④ कार्यों के नियंत्रण
की उपलब्धता।

③ अनुनी क्रिमानन्द के
आधार के शोषण की
उदारता।

④ बहुराष्ट्रीय क्रमनियि
में निष्पक्ष चयन प्रक्रिया
वायित प्राप्ति क्रमनियि
की कल्पण की जगह
भौम्यल की आपता की
जाती है।

भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की
व्यवहार्यता

① राज्य की 'कुल्याण गारी नीति' के निजी क्षेत्र की
सामीनुख नीति के बीच डंक की उदारता।

इसके विशेष समिति का गठन कर हाइक्रिड
भौम्यल पर विचार किया जाना चाहिए।

② निजी क्षेत्र में कौशल के भौम्यल की काधिक
परीपत दिये जाने के कारण वैनिली के कौशल
प्रशिक्षण के पर जोर की डाक छपकता

उदाहरण अरल कनोवेशन नियन्त्रण, अरल रिंकिंस लैन
मुमा योजना, मेन इन इंडिया, सिल इंडिया
आदि के भौम्यल से।

उल्लः आरक्षण की नीति के निजी क्षेत्र के
लागू किया जा सकता है क्षाती मेरिट के आधिक
जारि की प्रमाणित न हो तो वक्ता के आधिक
समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति किया जाएगी।

(5) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (CWS) के आरक्षण की क्रूरता ने भारत में जाति-आषाढ़ित संकारणमें भूमिका की भाविष्य की चिंह की लेकर एक नई बहस देते ही है। क्या आर्थिक आषार पर आरक्षण की जाति-आषाढ़ित आरक्षण का व्यापार खेलना चाहिए या सामाजिक विकास सुनिश्चित बनने के लिए एक राष्ट्रिय गॉडल की आवश्यकता है? इस पर चर्चा कीजिए। (7ल)

भारतीय संविधान में 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 के आषयम अनुच्छेद 15 व 16 में नए आग 15(6) तथा 16(6) जोड़ा गया जो आर्थिक रूप से पिछड़े सर्वोत्तम की 10% का आरक्षण प्रदान करता है।

पूर्व में भारत की आरक्षण प्रवाली जाति पर आषाढ़ित भी जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े की का सामाजिक उत्पान था।

आर्थिक आषार पर आरक्षण की जाति आषाढ़ित आरक्षण का व्यापार ले लेना चाहिए?

पक्ष में लक्ष्य	निपक्ष में लक्ष्य
<p>① अधिकांश सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े का आर्थिक</p> <p>स्वास्थ्य अस्वास्थ</p>	<p>② आर्थिक रूप पिछड़े का वर्गों की सामाजिक अस्वास्थ या परंपराओं के विरोध का सामना नहीं आया जा पाया है</p> <p>उदाहरण के लिए जातियों के अस्वास्थ व सामाजिक</p>

② आर्थिक साधार पर आरक्षण नीरि छारा हारिए पर स्थित सोगो के सरीउ बाँड़े गिल सड़े।

③ आर्थिक साधार आरक्षण जाहिंत भेदभाव में ठमी करेगा

के बारण सामाजिक व शैक्षिक उत्तरी से नीनित रहना पड़ा।

④ आर्थिक क्षय काशक्त परन्तु सर्वी जालियों के लाभ समानता के आधिकरे क समान दावस्ट के अधिकरे का हनन

⑤ जाति और सामाजिक पिछड़पन लापस में सम्बन्ध इसलिए सिर्फ आर्थिक साधार पर आरक्षण पर्याप्त नहीं।

समावेशी विभास सुनिश्चित करने के लिए लाइब्रिय मॉडल की आवश्यकता

① लाइब्रिय मॉडल जाहिं व आर्थिक दोनों साधार आरक्षण की बात बरता है जिसके दोनों को में समावेशी विभास सुनिश्चित किया जा सके।

② आरक्षण की नीरि के तर्कुर्या लिपावधन की आवश्यकता

उस प्रकार आरक्षण के लाइब्रिय मॉडल का उपयोग स्कूलाग्रन्थ भारवाई के आहम से अन्तर्गत से स्कूलिंग के गांधी जी के भक्ति की प्राप्ति किया जा सकता है।